**भारत सरकार**
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग**
**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2275**
**दिनांक 20 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ**

**विषय:- पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के अंतर्गत शामिल क्षेत्र**

**2275. श्री शंकर लालवानी:**
**डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद-अधिक फसल (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत देश में अब तक शामिल किए गए क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत राज्यों को निधि जारी की गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ड.) देश में सूक्ष्म सिंचाई से किसानों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

**(क) एवं (ख):** देश में वर्ष 2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीडीएमसी को वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से पीडीएमसी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। अब तक पीडीएमसी योजना के माध्यम से देश में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 71.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

**(ग) एवं (घ):** वर्ष 2015-16 से अब तक पीडीएमसी योजना के तहत राज्यों को 13136.67 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध- II** में दिया गया है।

**(ड.):** सूक्ष्म सिंचाई सुव्यवस्थित सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर कुशल जल उपयोग में सहायता करती है, साथ ही फर्टिगेशन के माध्यम से उर्वरक उपयोग, श्रम व्यय तथा अन्य इनपुट लागतों में कमी करती है। सूक्ष्म सिंचाई किसानों की समग्र आय वृद्धि में सहायक होती है।

**लो.स.अता.प्र.सं.2275**

**अनुबंध-I**

**पीडीएमसी के तहत 2015-16 से 2022-23 तक (अब तक की स्थिति के अनुसार) सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल राज्य-वार क्षेत्रफल**

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

| क्र.सं | राज्य | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 94104 | 141098 | 186441 | 200269 | 122080 | | 14654 | 37940 | 796586 |
| 2 | बिहार | 5155 | 4228 | 3143 | 924 | 3967 | 1275 | 2087 | 2805 | 23583 |
| 3 | छत्तीसगढ | 8056 | 19227 | 13087 | 18929 | 27688 | 18634 | 18640 | 1907 | 126168 |
| 4 | गोवा | 92 | 123 | 236 | | 285 | 132 | | | 868 |
| 5 | गुजरात | 142681 | 165948 | 143134 | 140778 | 107649 | 101329 | 78790 | 62202 | 942511 |
| 6 | हरियाणा | 3117 | 5701 | 10751 | 10469 | 22652 | 12446 | 43045 | 45028 | 153209 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 3306 | 937 | 1197 | 422 | 2573 | 2051 | | | 10486 |
| 8 | झारखंड | 4528 | 5810 | 1544 | 3978 | 5989 | 1909 | 4868 | | 28626 |
| 9 | जम्मू एवं कश्मीर | | | | | 70 | 1020 | 14 | | 1104 |
| 10 | कर्नाटक | 64220 | 139405 | 236107 | 234853 | 250591 | 321178 | 336053 | 4994 | 1587401 |
| 11 | केरल | 561 | 310 | 358 | 965 | 583 | 389 | 385 | 950 | 4501 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 75224 | 54323 | 39761 | 35195 | 14597 | 17717 | 69890 | 1446 | 308153 |
| 13 | महाराष्ट्र | 35242 | 106172 | 132829 | 159959 | 171097 | 49878 | 113479 | 79642 | 848298 |
| 14 | ओडिशा | 2907 | 4611 | 3036 | 10081 | 8498 | 13592 | 30331 | 17999 | 91055 |
| 15 | पंजाब | 1799 | 1950 | 600 | 507 | 942 | 742 | 3719 | 1010 | 11269 |
| 16 | राजस्थान | 56346 | 47650 | 48205 | 53982 | 58573 | 69191 | 78232 | 72488 | 484667 |
| 17 | तमिलनाडु | 32288 | 44778 | 105695 | 172445 | 263494 | 214147 | 102329 | 31863 | 967039 |
| 18 | तेलंगाना | 39864 | 61980 | 89474 | 40381 | 4548 | 11308 | 35538 | 21280 | 304373 |
| 19 | उत्तराखंड | 721 | 3199 | 2182 | 4256.41 | 6790 | 4128 | 3700 | 1951 | 26927 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 1598 | 32511 | 28235 | 55086 | 56953 | 58104 | 33931 | 20160 | 286578 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | | | 2137 | 13370 | 21824 | 14821 | 14365 | 4379 | 70896 |
| 22 | अरुणाचल प्रदेश | | | | | | 6898 | 3009 | 3691 | 13598 |
| 23 | असम | | | 782 | 70 | 10873 | 6731 | 12849 | 2630 | 33935 |
| 24 | मणिपुर | | | | 1600 | 2554 | 4455 | 2894 | 3001 | 14504 |
| 25 | मिजोरम | 398 | | | | 2348 | 519 | 427 | | 3692 |
| 26 | नागालैंड | | | | | 2830 | 1520 | 5518 | 2060 | 11928 |
| 27 | सिक्किम | 773 | | | | 2524 | 3000 | 2914 | 1918 | 11129 |
| 28 | त्रिपुरा | | | | | | | 3413 | 101 | 3514 |
| | कुल | 572980 | 839961 | 1048934 | 1158519 | 1172572 | 937114 | 1015073 | 421445 | 7166599 |

**लो.स.अता.प्र.सं.2275**

**अनुबंध-II**

**वर्ष 2015-16 से अब तक पीडीएमसी के तहत जारी राज्य-वार केंद्रीय सहायता**

| **क्र.सं.** | **राज्य** | **जारी की गई केन्द्रीय सहायता (रुपये करोड़ में)** |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1844.00 |
| 2 | बिहार | 62.01 |
| 3 | छत्तीसगढ | 190.54 |
| 4 | गोवा | 1.94 |
| 5 | गुजरात | 1198.29 |
| 6 | हरियाणा | 213.82 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 100.75 |
| 8 | झारखंड | 142.47 |
| 9 | जम्मू एवं कश्मीर | 47.80 |
| 10 | कर्नाटक | 2067.03 |
| 11 | केरल | 34.00 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 509.56 |
| 13 | महाराष्ट्र | 1647.50 |
| 14 | ओडिशा | 179.25 |
| 15 | पंजाब | 12.75 |
| 16 | राजस्थान | 712.23 |
| 17 | तमिलनाडु | 1843.30 |
| 18 | तेलंगाना | 379.00 |
| 19 | उत्तराखंड | 207.20 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 592.88 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 152.00 |
| 22 | अरुणाचल प्रदेश | 103.80 |
| 23 | असम | 106.00 |
| 24 | मणिपुर | 190.00 |
| 25 | मेघालय | 30.30 |
| 26 | मिजोरम | 126.10 |
| 27 | नागालैंड | 198.55 |
| 28 | सिक्किम | 185.49 |
| 29 | त्रिपुरा | 54.71 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0.50 |
| 31 | लद्दाख | 2.90 |
| | **कुल** | **13136.67** |

*****